कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0 / यु0पी0ग0 / / 2023, लखनऊ, **दिनांक : 22 अगस्त ,2023**

–:: आदेश ::–

सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण पीठ–मुरादाबाद द्वारा प्रेषित पत्र सं0 683 / 2023 दिनांक 16–08–2023 के अनुक्रम में रिट टैक्स संख्या–909 / 2023 सर्वश्री इलेवन ऑर्किड बनाम उ0प्र0 सरकार व 4 अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04–08–2023 के आलोक में व्यापारी के रिकॉल प्रार्थना–पत्र को चार सप्ताह के अन्दर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–8–2023 के अनुपालन में दिनांक 05–09–2023 एवं दिनांक 06–09–2023 के लिए उत्तर प्रदेश वैट नियमावली–2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन एक अतिरिक्त खण्डपीठ गठित की जाती है, जिसमें सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–मुरादाबाद के साथ न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, मेरठ श्री अजय कुमार दीक्षित को नामित किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0–22–08–2023
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः वा0क0अधि0 / यु0पी0ग0 / 1146 / 2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ–प्रथम, मेरठ।
2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मुरादाबाद पीठ मुरादाबाद।
3– कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– मुन्सरिम / पेशकार मुख्यालय / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता / विवरण मुख्यालय।
5– वेब अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करें।
6– स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।